पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश,
"निर्माण भवन," प्रथम तल, प्लाट नं.27–28, अरेरा हिल्स, भोपाल(म.प्र.)
web site: www.mppwd.gov.in email:-sepwdadminenc@mp.nic.in
Phone- 0755-2527612, Fax- 2556527

क्रमांक 303 / 034 / 2008 / पार्ट–2.1/1453 भोपाल, दिनांक 20/06/2016

//आदेश //

मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल,भोपाल द्वारा विभाग में उपयंत्री(वि/यां.) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में चयनित निम्नांकित उम्मीदवार को मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम–1972 (संशोधन सहित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभाग में उपयंत्री (वि/यां.) के पद पर वेतनमान **–PB-2-₹.9300–34800+GradePay₹.3200/–**में शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्तों सहित अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन स्थानापन्न रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

स. क्र.	वर्ग	उम्मीदवार का नाम एवं पिता का नाम	नियुक्ति पश्चात प्रथम पदस्थगी स्थान का नाम
1	2	3	4
1	अन्य पिछड़ा वर्ग/ओपन प्रतीक्षा सूची	श्री निकेश पराते आत्मज सुभाष पराते	**कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री,लो.नि.वि.,पी.आई.यू., गुना**

शर्ते निम्नानुसार है :–

1. उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता व्यापम द्वारा चयन क्रम के अनुसार रहेगी।
2. अभ्यर्थी को संपूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा,(आचरण नियम) 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा ।
3. उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि,स्थायीकरण,वरिष्ठता,पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें)नियम–1961 एवं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम–1972 के अध्यधीन होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्यधीन रहेंगे।
4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी/अर्द्धस्थायी)सेवा नियम–1960 में निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर समाप्त की जा सकगी । संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. अभ्यर्थी को पदस्थगी स्थान में अपनी उपस्थिति देना है एवं शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि इत्यादि संबंधी मूल प्रमाण पत्र तथा उसकी सत्यापित छाया प्रतियां प्रस्तुत करना होगी।
6. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में भविष्य में प्रतिकूल स्थिति या गड़बड़ी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
7. अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा,उसे समय–समय पर प्रशिक्षण एवं विहित विभागीय परीक्षाएँ (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने की दशा में उसकी परिवीक्षा अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
8. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 15 दिनों के अंदर अपने पदस्थगी संभाग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
9. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक–एफ–9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित होने वाले अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।

upload

......2

10. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
11. अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र अपने निकटस्थ अधिकारी को भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित अधिकारी उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवायेगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अभ्यर्थी के विरूद्व पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है,कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

(विजय सिंह वर्मा)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,
भोपाल,दूरभाष–2551485

पृ. कमांक 303/034/2008/पार्ट–2.1/1454 भोपाल दिनांक 20/06/2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव,माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश भोपाल
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग,मंत्रालय,भोपाल
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय,मध्यप्रदेश,भोपाल
4. नियंत्रक,मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल,भोपाल
5. परियोजना संचालक, पी.आई.यू. लो.नि.वि.म.प्र.भोपाल
6. समस्त मुख्य अभियंता,लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश
7. अधीक्षण यंत्री,लोक निर्माण विभाग,वि/यां.मंडल,भोपाल
8. अतिरिक्त परियोजना संचालक,पी.आई.यू. लो.नि.वि. ग्वालियर
9. अधीक्षण यंत्री(आई.टी.सेल)कार्या.प्रमुख अभियंता,लो.नि.वि.,भोपाल की ओर आदेश अपलोड करने हेतु।
10. कोषालय अधिकारी,जिला कोषालय, गुना
11. संभागीय परियोजना यंत्री,लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। निर्देशित किया जाता है,कि नवनियुक्त उपयंत्री की उपस्थिति के समय नियमानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर, नवनियुक्त उपयंत्री को उनके पदस्थगी स्थल में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें एवं संबंधित की उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
12. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौसर जिला छिंदवाडा म.प्र. की ओर उनके पत्र क्र. 411/प्रस्तु–3/अ.वि.अ./2016, दिनांक 05.04.2016 एवं पत्र क्र. 610/प्रस्तु–3/अ.वि.अ./2016, दिनांक 01.06.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
13. वरिष्ठ निज सहायक,प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,भोपाल
14. स्थापना शीर्ष–302/304/305 कार्यालय प्रमुख अभियंता,लो.नि.वि.,भोपाल
15. श्री निकेश कुमार परते, आत्मज श्री सुभाष परते, 1119 एट पोस्ट उमरनला बेल बाजार उमरनला छिन्दवाड़ा 480107 की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,